(01)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

मनु रविदास बनाम् सुलेमान अंसारी वगै0

विविध वाद संख्या –73 / 2024

U/S – 144 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. मनु रविदास, पिता – भगन रविदास,
साकिन – माखमरगो, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. सुलेमान अंसारी, पिता – स्व0 जहरली मियां,
2. कलीम अंसारी, पिता – स्व0 जहरली मियां,

दोनों साकिन– माखमरगो, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, बिरनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए, अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
माखमरगो	33	903	80 डी0	उ0– मधुरी मियां का मकान, द0– सरयु रविदास बाकब्जे परती जमीन, पु0– सरिया – धनवार मुख्य सड़क, प0– नाला।

थाना प्रभारी, बिरनी का प्रतिवेदन, ज्ञापांक – 675/2024, दिनांक – 02.06.2024 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये गये हैं –

01. थाना प्रभारी, बिरनी का प्रतिवेदन, ज्ञापांक– 675/2024, दिनांक– 02.06.2024 – **प्रदर्श A**

02. प्रथम पक्ष, मनु रविदास वगै0 के नाम से निर्गत बिहार भूदान यज्ञ कमिटि का प्रमाण पत्र संख्या – 769505, वर्ष 1989 –– **प्रदर्श A-1** तथा

02. प्रथम पक्ष, मनु रविदास के नाम से खाता नं0 – 33, रकबा – 2.30 ए0 का सरकारी लगान रसीद संख्या $\frac{JH}{20}A$ 127925 –– **प्रदर्श A-2,**

प्रथम पक्ष, मनु रविदास वगै0 के नाम से निर्गत बिहार भूदान यज्ञ कमिटि का प्रमाण पत्र संख्या – 769505, वर्ष 1989 (**प्रदर्श A-1**) में, भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	चौहद्दी				रकबा	किस्म
			उ0	द0	पू0	प0		
माखमरगो	33	989	सरजु रविदास	प0 क0	महौली मियां	सोफी मियां	80 डी0	टांड मिढ III
माखमरगो	33	872	महौली वो टीपन	सरजु रविदास	प0 क0 871	नीज	30 डी0	टांड मिढ III
माखमरगो	33	1052	रास्ता	नीज	प0 क0	सरजु रविदास	40 डी0	टांड मिढ III
माखमरगो	33	903	विशुन रविदास	सरजु रविदास	रोड	नाला, खेसरा 866	40 डी0	टांड मिढ III
माखमरगो	33	903	सरजु रविदास	प0 क0	रास्ता	नाला	40 डी0	टांड मिढ III

मनु रविदास के नाम से खाता नं0– 33, रकबा–2.30 ए0 का सरकारी लगान रसीद निर्गत है। (**प्रदर्श A-2**)

अतः स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि प्रथम पक्ष को बिहार भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त हुआ है तथा इसका सरकारी लगान रसीद भी प्रथम पक्ष के नाम से निर्गत हो रहा है।

थाना के प्रतिवेदन (**प्रदर्श A**) में यह कहा गया है कि ***" जमीन पर द्वित्तीय पक्ष 01. सुलेमान अंसारी 02. कलीम अंसारी, दोनों पिता – स्व0 जहरली मियां तथा इनके परिवार के अन्य सदस्य सभी साकिन – माखमरगो, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह के द्वारा बाजबरण जमीन को कब्जा करने के नियत से रात दिन करके घर बना रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा काम को रोके जाने एवं पूछे जाने पर तरह – तरह की धमकी तथा मारपीट पर उतारू हो जा रहे है।"***

थाना के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि द्वित्तीय पक्ष का उक्त विवादित भूमि पर पहले से कब्जा नहीं रहा है और द्वित्तीय पक्ष उस पर बल पूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

थाना के प्रतिवेदन में आगे यह भी कहा गया है कि इसी प्लॉट में 80 डी0 जमीन, जिसका पट्टा सरयु रविदास के नाम से निर्गत है, उस पर सुलेमान मियां के द्वारा बाजबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी तथा बिरनी थाना में कांड दर्ज कराया गया था।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 20.07.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B**
2. हुकुमनामा की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
3. शिबन मियां के नाम से जमींदारी रसीद की छायाप्रति, – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**

4. शिबन मियां के नाम से ऑफलाईन सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति – वर्ष 1971–1972, खाता नं0 – 33, रकबा – 52 डी0 –– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
5. हीरो मियां के नाम से, वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2013–14, रकबा – 4.97 डी0 का, दो ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति –– कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
6. मंगर मियां, पिता – शिबन मियां के नाम से ऑफलाईन पंजी 2 की **अपठनीय** छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ; **तथा** मंगर मियां के नाम से, वर्ष 2007–08, रकबा – 4.58 डी0 का ऑफलाईन लगान रसीद की **अपठनीय** छायाप्रति –– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**
7. जहुरअली मियां, पिता – शिबन मियां के नाम से ऑफलाईन पंजी 2 की **अपठनीय** छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ; **तथा** जहुरअली मियां, पिता – शिबन मियां के नाम से ऑनलाईन पंजी 2 की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-6**
8. किसुन मियां, पिता – शिबन मियां के नाम से ऑफलाईन पंजी 2 की **अपठनीय** छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ; **तथा** किसुन मियां के नाम से ऑनलाईन पंजी 2 की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ;**तथा** किसुन मियां के नाम से वर्ष 2013–14 का ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-7**
9. अपठनीय रसीद की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-8**

उक्त दस्तावेजों के आधार पर द्वित्तीय पक्ष उक्त जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं।

द्वित्तीय पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत विवादित भूमि, उनके पूर्वज शिबन मियां को, जमींदार से सादा हुकुमनामा के माध्यम से, बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ था, द्वित्तीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में चार सादा हुकुमनामा की छायाप्रति (**प्रदर्श B-1**), तथा चार जमींदारी रसीद की छायाप्रति (**प्रदर्श B-2**) संलग्न किया गया है, परन्तु इसके साथ कोई रिटर्न की कॉपी संलग्न नहीं की गई है; **और यह सर्वविदित है कि रिटर्न के बिना इस प्रकार के सादा हुकुमनामा तथा जमींदारी रसीद की कोई वैधता नहीं है, अतः द्वित्तीय पक्ष का सादा हुकुमनामा से बंदोबस्ती का दावा संदेहास्पद है।**

जमींदारी उन्मूलन के समय फील्ड बुझारत की कार्यवाई की गई थी, द्वित्तीय पक्ष की ओर से शिबन मियां के नाम से फील्ड बुझारत से संबंधित कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

शिबन मियां के नाम से जमींदारी उन्मूलन (वर्ष 1950) के तुरंत बाद का कोई भी सरकारी लगान रसीद संलग्न नहीं किया गया है।

शिबन मियां के नाम से, वर्ष 1971–72 का, खाता नं0 – 33, रकबा – 52 डी0 का, एक सरकारी लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है (**प्रदर्श B-3**)। द्वित्तीय पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन में शिबन मियां के नाम से, रकबा – 04.70 ए0 जमीन की बंदोबस्ती का दावा किया गया है, तो फिर शिबन मियां के नाम से केवल 0.52 ए0 का रसीद प्रस्तुत किया जाना, द्वित्तीय प्रक्ष के दावा को पुनः संदेहास्पद बनाता है।

पुनः यह प्रश्न उठता है कि शिबन मियां के नाम से वर्ष 1971–72 के बाद का कोई भी रसीद क्यों नहीं है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि द्वित्तीय पक्ष का दावा कि, शिबन मियां के नाम से प्रशनगत खाता – प्लॉट (खाता नं0 – 33, प्लॉट नं0 – 903) में 04.70 ए0 की बंदोबस्ती की गई थी, पूर्णतः सदेहास्पद है।

हालाँकि शिबन मियां के चार पुत्र (हीरों मियां, मंगर मियां, जहुरअली मियां तथा किसुन मियां) के नाम से अलग – अलग जमाबंदी का जिक किया गया है तथा अपने – अपने समर्थन में वर्ष 2000 के बाद का, एक – दो सरकारी लगान रसीद संलग्न किया गया है, चूँकि ये सभी जमाबंदी शिबन मियां की संदेहास्पद जमाबंदी से बना है, अतः यह सभी जमाबंदी भी संदेहास्पद है।

इस वाद में द्वित्तीय पक्ष, शिबन मियां के पोता तथा जहुरअली मियां के पुत्र हैं।

अतः **A. प्रथम पक्ष** को भूमि सरकारी प्रकिया के तहत् बिहार भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त हुई है तथा सरकारी लगान रसीद निर्गत है।

B. द्वित्तीय पक्ष की जमाबंदी कायम होने का आधार संदेहास्पद है, अतः द्वित्तीय पक्ष की जमाबंदी स्वयं में संदेहास्पद है।

C. थाना के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वित्तीय पक्ष के द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वित्तीय पक्ष का पहले से कब्जा नहीं रहा है।

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है; तथा द्वित्तीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपूष्ट किया जाता है एवं द्वित्तीय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने से रोक लगाया जाता है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

01.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

01.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.08.12 11:15:52 +05:30
Location: 192.168.1.5